(15)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संoसंo–9/आo–09–14/2022 (स्वाo)...................... / पटना, दिनांक ....

डॉo संतोष कुमार वर्मा, तत्कालीन सिविल सर्जन, पूर्णियॉ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध नीति आयोग आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत मोटर बाईक एम्बुलेस Attachment Trolly तथा बाढ महामारी के दौरान उपयोग होने वाले चूना एव हैलोजन टेबलेट के क्रय में अनियमितता बरतने, सामग्री के क्रय के पूर्व स्थानीय बाजार का सर्वेक्षण नही करने के आरोप में विभागीय ज्ञापन संo–288(9) दिनांक–31 03.2023 द्वारा आरोप–पत्र गठित किया गया।

2. डॉo वर्मा के विरूद्ध गठित आरोप–पत्र के आलोक मे विभागीय संकल्प संo–844(9) दिनांक–16.08.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप की कंडिका–3, 4, 5 एवं 6 को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–968(9) दिनांक–03.10.2024 द्वारा डॉo वर्मा से लिखित अभ्यावेदन की मॉग की गयी, जिसके आलोक में प्रत्युत्तर समर्पित किया गया।

3. डॉo वर्मा के दिनांक–30.09.2022 को वार्धक्य सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप विभागीय संशोधित संकल्प संo–747(9) दिनांक–27.08 2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही को बिहार पेशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन सम्परिवर्तित किया गया।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉo वर्मा के प्रत्युत्तर के समीक्षोपरान्त पाया गया कि डॉo वर्मा द्वारा अपने पुत्र श्री अमन वर्मा के नाम पर एकरारनामा करने से उनके कर्त्तव्य के प्रति शीलनिष्ठा सदिग्ध प्रतीत होता है। अतः डॉo वर्मा के विरूद्ध बाईक एम्बुलेंस के क्रय करने में अनियमितता बरतने तथा चयनित एजेंसी से अपने पुत्र के नाम पर एकरारनामा करने के प्रमाणित आरोप में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि से 5% (पॉच प्रतिशत) पेंशन की राशि 3 (तीन) वर्षो तक कटौती करने का विनिश्चय किया गया।

5. विभागीय पत्राक–270(9) दिनांक–09.03.2026 के द्वारा डॉo वर्मा के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मॉग की गयी, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–410 दिनांक–11.05.2026 द्वारा सहमति दी गयी।

6. अतः डॉo संतोष कुमार वर्मा, तत्कालीन सिविल सर्जन, पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि से 5% (पॉच प्रतिशत) पेंशन की राशि 3 (तीन) वर्षो तक कटौती करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

7. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

हo/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–09–14/2022(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–........................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हo/–

सरकार के अवर सचिव।

01/06/2026 कृ०पृ०उ०

(15)

ज्ञापांकः–9/आ0–09–14/2022(स्वा0) 570(9) /पटना, दिनांकः– 02.06.26

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी पूर्णियाँ/क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ/सिविल सर्जन, पूर्णियाँ/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डॉ० संतोष कुमार वर्मा, तत्कालीन सिविल सर्जन, पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत्त स्थायी पता–यूरोपियन कॉलोनी, इंदिरा गाँधी स्टेडियम के सामने, पूर्णियाँ–854301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–Department PMU Lead/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

01/06/2026

सरकार के अवर सचिव।